

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का पंचम सत्र
दिनांक 07 मार्च, 2022

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3,35,02,99,000** (तीन अरब पैंतीस करोड़ दो लाख निन्यानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 2-4. श्री ललित कुमार यादव, श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

5. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **62,59,11,000** (बासठ करोड़ उनसठ लाख ग्यारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 6-7. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

8. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3,84,17,63,000** (तीन अरब चौरासी करोड़ सत्रह लाख तिरसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 9-10. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

11. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,33,88,39,000** (एक अरब तैंतीस करोड़ अठासी लाख उनतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

12. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **33,96,000** (तैंतीस लाख छियानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 13.14. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की निगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-08

आय-व्ययक शीर्षक-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

15. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,000** (एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 16-17. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

18. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'ऊर्जा विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **10,24,93,70,000** (दस अरब चौबीस करोड़ तिरानवे लाख सत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 19-20. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

21. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **20,00,000** (बीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

22. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'वित्त विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **90,00,00,000** (नब्बे करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 23-24. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

25. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **6,44,22,01,000** (छः अरब चौवालीस करोड़ बाईस लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 26-27. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक- वाणिज्य-कर विभाग

28. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य-कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **54,02,000** (चौवन लाख दो हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 29-30. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की वाणिज्य-कर नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

31. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **27,50,000** (सत्ताईस लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 32-33. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

34. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **48,00,000** (अड़तालीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 35-36. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

37. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **54,76,54,000** (चौवन करोड़ छिहत्तर लाख चौवन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 38-40. श्री ललित कुमार यादव, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

41. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3,14,03,000** (तीन करोड़ चौदह लाख तीन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 42-43. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

44. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **32,12,18,000** (बत्तीस करोड़ बारह लाख अठारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 45-46. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

47. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **19,07,00,000** (उन्नीस करोड़ सात लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 48-49. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की सूचना प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

50. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **30,80,000** (तीस लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 51-52. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-29

आय-व्ययक शीर्षक-खान एवं भूतत्व विभाग

53. प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खान एवं भूतत्व विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **2,54,03,000** (दो करोड़ चौवन लाख तीन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

54. प्रभारी मंत्री, विधान मंडल प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,13,00,000** (एक करोड़ तेरह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

55. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **1,000** (एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 56-57. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

58. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,00,06,00,000 (चार अरब छः लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 59-61. श्री ललित कुमार यादव, श्री मुकेश कुमार रौशन एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

62. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 14,09,50,000 (चौदह करोड़ नौ लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 63-64. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

65. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,91,00,01,000 (तीन अरब इक्यान्वे करोड़ एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 66-68. श्री ललित कुमार यादव, श्री विजय कुमार एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
- राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

69. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **9,17,20,000** (नौ करोड़ सत्रह लाख बीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 70-72. श्री ललित कुमार यादव, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

73. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **35,51,00,00,000** (पैंतीस अरब इक्यावन करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
74. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

75. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **13,54,47,000** (तेरह करोड़ चौवन लाख सैंतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 76-77. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।
राज्य सरकार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग

78. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **40,60,00,000** (चालीस करोड़ साठ लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

79. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **12,59,00,000** (बारह करोड़ उनसठ लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 80-81. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

82. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त **3,20,04,01,000** (तीन अरब बीस करोड़ चार लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 83-84. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

85. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,00,00,00,000 (दो अरब) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 86-88. श्री ललित कुमार यादव, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

89. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,52,41,13,000 (एक अरब बावन करोड़ इकतालीस लाख तेरह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 90-91. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

शैलेन्द्र सिंह


सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-04/2022- 1075 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2022 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-04/2022- 1075 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2022 ई० ।


प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


(असीम कुमार)


उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-04/2022- 1075 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(असीम कुमार)

उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।


4/3/22